

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक: प.1(11)वित्त/राजस्व/2016 पार्ट

जयपुर, दिनांक:- 2 | 6 | 2020

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को आगामी आदेशों तक अपने पद के कार्य के साथ साथ उनके नाम के समक्ष अंकित रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	अतिरिक्त कार्यभार	विशेष विवरण
1.	श्री रामगोपाल पारीक	वित्तीय सलाहकार, एसपीएफसी, वित्त (जी एण्ड टी) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	श्रीमती कीर्ति जैन के अवकाश से लौटने तक.
2.	श्री राकेश भारतीय	नियंत्रक (वित्त), राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा	नियंत्रक (वित्त), वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	श्री जय कौशिक के स्थान पर
3.	श्री अमित ढोटिया	वरिष्ठ लेखाधिकारी, ईजीनियरिंग कॉलेज, अजमेर	उप निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर	
4.	श्री अमित शर्मा	लेखाधिकारी, अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर	सहायक निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर	

राज्यपाल की आज्ञा से,


(अपूर्व जोशी)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)
3. संबंधित विभागाध्यक्ष
4. संबंधित अधिकारी
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग
6. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग


क्रमांक एफ.1(11)वित्त/राजस्व/2016 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 02.06.2020

संशोधन आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 02.06.2020 में क्रम संख्या 1 पर 'अतिरिक्त कार्यभार' कॉलम में अंकित पदनाम, "संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर" के स्थान पर "संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर" पढ़ा जावे।


आज्ञा से,


(अपूर्व जोशी)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष।
4. संबंधित अधिकारी।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव